।। कार्यालय जिलाधिकारी,रूद्रप्रयाग ।।

पत्रांक 3447 /यात्रा व्यवस्था/कोटेशन–फ्लैक्सी बोर्ड/2015–16 दिनांक 31, मार्च 2015

अल्पकालीन कोटेशन सूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 2015 से दिनांक 13 नवम्बर, 2015 तक जनपद रूद्रप्रयाग में अवस्थित श्री केदारनाथ यात्रा आरम्भ हो रही है। श्री केदारनाथ धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए यात्रा मार्ग के विभिन्न पड़ावों में तैनात सैक्टर मजिस्ट्रेट कार्यालय, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र, शौचालय एवं प्रसाधन सुविधाओं, घोड़ा–खच्चर पड़ावों, यात्री पंजीकरण काउण्टरों, प्रीपेड काउण्टरों, महत्वपूर्ण टेलीफोन/मोबाइल नम्बरों तथा यात्रियों हेतु आवश्यक महत्वपूर्ण सूचनाओं को यात्राकाल के दौरान आवश्यकतानुसार समय–समय पर यात्रियों की सुविधा हेतु विभिन्न सूचनाओं को फ्लैक्सी सूचना बोर्ड/फ्लैक्सी सूचना बैनरों के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा वांछित स्थानों पर स्थापित करने हेतु इच्छुक फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं से आगामी छः माह के लिए दर सविंदा गठित करने हेतु कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं।

फ्लैक्सी सूचना बोर्ड/फ्लैक्सी सूचना बैनर हेतु Specification निम्न प्रकार है–

क0सं0	सामग्री का नाम	दर प्रति वर्ग फीट
01	फ्लैक्स बोर्ड फ्रेम सहित, बिना गार्डर के ट्रांसपोर्ट लेबर एवं स्थापना सहित (प्रति वर्ग फीट में)	
02	फ्लैक्स बोर्ड गार्डर सहित ट्रांसपोर्ट तथा लेबर एवं स्थापना सहित (प्रति वर्ग फीट में)	
03	फ्लैक्स बैनर (प्रति वर्ग फीट में)	

कोटेशन हेतु नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार हैं–

1–आपूर्तिकर्ता फर्म को फ्लैक्स बैनर तथा बोर्ड में प्रयुक्त सामग्री उच्च गुणवत्ता की " स्टार" श्रेणी का प्रयोग करना अनिवार्य होगा, निम्न गुणवत्ता की सामग्री स्वीकार नहीं की जायेगी।

2–इच्छुक फर्म/आपूर्तिकर्ता को कोटेशन के साथ सेलटैक्स तथा इन्कमटैक्स में पंजीकरण का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है।

3–प्रत्येक कोटेशन के साथ रू0 10000.00(दस हजार मात्र) की अर्नेस्टमनी की राशि जो कि जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के नाम बंधक हो,संलग्न करना अनिवार्य होगा।

4–कोटेशन जोकि जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को सम्बोधित हो जिला आपदाप्रबन्धन कार्यालय, कलैक्ट्रेट भवन रूद्रप्रयाग के पते पर **दिनांक 15–04–2015 को अपराह्न 3.00 बजे तक पंजीकृत डाक द्वारा अथवा by hand प्राप्त कराये जा सकते हैं। जो उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा उपस्थित कोटेशनदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख खोली जायेंगी।** बिना अर्नेस्टमनी अथवा निर्धारित तिथि तथा समय के बाद प्राप्त कोटेशनों पर विचार नही किया जायेगा।

5–किसी भी कोटेशन अथवा समस्त कोटेशनों को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकारी जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग को होगा।

6–सम्बन्धित फर्म को जिला प्रशासन द्वारा मांग किये जाने पर वांछित फ्लैक्स बोर्ड/बेनर, को 02 दिन के अन्तर्गत स्थान सोनप्रयाग में लेबर सहित उपलब्ध कराना होगा तथा चिन्हित स्थानों पर स्थापित करने होंगें।

ह0/–
जिलाधिकारी
रूद्रप्रयाग

प्रतिलिपिः– 1.जिला सूचना अधिकारी रूद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त को किन्हीं 02 सर्वाधिक प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों में शासकीय दरों एवं न्यूनतम साइज में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी रूद्रप्रयाग को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति की जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

3. जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, रूद्रप्रयाग को परिपालनार्थ।

31/3/15

जिला विकास अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।